राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 9 (4)मुं.अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/ 16106 जयपुर, दिनांकः 25.3.22

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 का कोचिंग संस्थाओं को भुगतान किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में आपके जिले के चयनित अभ्यर्थियों का वर्ष 2021-22 का भुगतान पूर्व मे संचालित अनुप्रति योजनान्तर्गत किये जा रहे भुगतान की प्रक्रिया अनुसार ही किया जाना है। इस हेतु योजनान्तर्गत संचालित पोर्टल पर जिला कार्यालय स्तर पर ही स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों के कोचिंग की राशि सम्बधित कोचिंग संस्थान को एवं प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आने पर आवास भत्ते की राशि का विद्यार्थी को ही भुगतान किया जाना है।

अतः मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत पूर्व में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग), विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित बजट मदों में से ही भुगतान किया जाना है। वर्ष 2021-22 में उक्त मदों में आवंटित राशि से दिनांक 31.03.2022 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 9 (4)शुं.अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/16107-115 जयपुर दिनांक : 25.3.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (एससीएसपी), मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय .... (समस्त)
9. आदेश पत्रावली।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner